

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रागनिवास बनाम रामकुमार आदि

दाया बाबत :- 88RTM-11

मुकदमा नम्बर :- 88/2020

निर्णय दिनांक :- 14.12.2021

वादी की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से वकील श्रीमती शकुन्तला चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही भोजा मलखीसर के खाता सं० 185/191 के खास सं० 109/1 की 5754 है, खास सं० 669/2 की 50785 है कुल 98395 है वारानी हबि मुनि प्रतिवादी सं० रामकुमार के नाम से रोही मलखीसर के खाता सं० 217/218 के खास सं० 69/1 की 1726 है, खास सं० 71/1 की 8777 है कुल 19003 है वारानी हबि मुनि प्रतिवादी सं० रामकुमार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वकील वाद मुनि में से प्रतिवादी सं० रामकुमार के अपार वादी रामनिवास प्रतिवादी सं० रामकुमार व प्रतिवादी सं० सुखरलाल को कहरिखा वारकर के खातदार का रकार कायित किए जाते है यदि हबि मुनि बैंक के खे हो तो खेन मुक होने के उपरांत ही राजस्व रिकार्ड में अम्ला दरामद किया जावे / रामनिवास को डिक्री का आज पढा जाय

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(निर्णय प्रभारी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
सहस्रक. सं. सं. 2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़
14/12/21